(भारत के राजपत्र असाधारण भाग–II, खण्ड–3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
वाणिज्य भवन, नई दिल्ली

अधिसूचना सं. 01 /2023
दिनांक: 2 अप्रैल, 2024

विषय: एचएस कोड 1006 30 90 के तहत 1000 मी.ट. काला नमक चावल का निर्यात।

सा.आ.(अ): विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित, यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की सं. 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आइटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 10 के आइटीसी (एचएस) कोड 1006 30 90 के तहत काला नमक चावल के निर्यात के लिए निम्नलिखित नीतिगत शर्तों को शामिल करती है :

आइटीसी एचएस कोड	विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त
1006 30 90	गैर–बासमती सफेद चावल (आधा पिसा हुआ या पूरी तरह पिसा हुआ चावल, चाहे पॉलिश किया हुआ या नहीं या चमकदार: अन्य)	निषिद्ध	इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से निम्नलिखित सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से काला नमक चावल के निर्यात की अनुमति है, जिसकी कुल मात्रा एक हज़ार मैट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए, नामत: 1. वाराणसी, एयर कार्गो, उत्तर प्रदेश 2. जेएनसीएच महाराष्ट्र 3. सीएच कांडला, गुजरात 4. एलसीएस नेपालगंज रोड 5. एलसीएस सोनौली 6. एलसीएस बरहनी इसके अलावा काला नमक चावल और इसकी मात्रा के प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, लखनऊ होंगे।

2. इस अधिसूचना का प्रभाव:

इस अधिसूचना के लागू होने की तारीख से विनिर्दिष्ट सीमाशुल्क स्टेशनों के माध्यम से काला नमक चावल के निर्यात निर्यात की अनुमति है जिसकी कुल मात्रा एक हजार मैट्रिक टन से अधिक नहीं होनी चाहिए। काला नमक चावल और इसकी मात्रा के प्रमाणीकरण के लिए प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता निदेशक, कृषि विपणन एवं विदेश व्यापार, लखनऊ होंगे।

संतोष कुमार सारंगी
2.4.2024
(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेल: dgft@nic.in

(फा.सं. 01/91/171/010/एएम23/ईसी/ई–33294 से जारी)